



## वृद्धों की सामाजिक प्रास्थिति एवं समस्याएं (एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

□ डॉ० राजीव कुमार श्रीवास्तव

कोई भी सामाजिक व्यवस्था अथवा मूल्य एक समय वि ष की सीमाओं तक ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरणार्थ— 20वीं भाताब्दी के आरम्भ में तेजी से नगरीकरण तथा औद्योगीकरण की प्रक्रिया ने लोगों को संयुक्त परिवार से अलग होकर उसे छोड़ने का अवसर दिया। इसके फलस्वरूप एक ओर जहाँ पीढ़ियों के बीच संघर्ष की सम्भावना कम हो गई, वहीं दूसरी ओर परिवार के वृद्धों को अन्य सदस्यों से अलग अकेले स्थानों पर रहने के कारण उन्हें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रवृत्ति ने व्यक्तिवादी और भौतिकवादी मूल्यों को बढ़ावा दिया है, जो वृद्धों में अलगाव तथा अकेलेपन को पैदा करता है और यहीं से वृद्धों का जीवन एक समस्या का रूप लेने लगता है।

60 वर्ष अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को वृद्ध के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था के लोग स्वयं को आज की परिस्थितियों में परिवार एवं समाज द्वारा उपेक्षित महसूस करते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनुसार, वि व में प्रत्येक 10 में से एक व्यक्ति 60 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र का है। औसत आयु, जन्मदर एवं मृत्युदर तीनों पहलू वृद्धों की संख्या के अध्ययन के लिए मुख्य मापदण्ड के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं। विकास णील दे ा में सामान्य औसत आयु 61 वर्ष है, जबकि विकसित दे ा में यह 74 वर्ष है। जन्म दर में कमी के साथ-साथ मृत्युदर में भी कमी आ रही है। ये दोनों पहलू वृद्ध जनसंख्या की पहचान के प्रमुख मापदण्ड हैं। जन्मदर में परिवर्तन न केवल वृद्धों की आबादी पर अपितु, उनके रहन-सहन पर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि जन्मदर में कमी के फलस्वरूप आने वाले समय में वृद्धों की देखभाल करने वालों की संख्या कम हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप वृद्धजनों की सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाने की सम्भावना व्यक्त की जा सकती है, लेकिन भारतीय समाज में वर्तमान अनुमानित आंकड़े संकेत देते हैं कि भारत एक ओर वृद्धों का दे ा बनता जा रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में वृद्धों की संख्या 7 करोड़ 66

लाख 22 हजार 321 है, इनमें पुरुषों की संख्या 3 करोड़ 88 लाख, 53 हजार 994 है और दूसरी ओर समाज में आ रहे तीव्र परिवर्तनों के कारण परिवार में वृद्धों की देखरेख करने की क्षमता घटती जा रही है और वे भारतीय मूल्य भी ि थिल पड़ते जा रहे हैं, जो वृद्धों की देखरेख का समर्थन करते हैं।

इस सन्दर्भ में यदि भारतीय संस्कृति पर दृष्टि डाली जाय तो कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति के आरम्भिक काल से ही वृद्धजनों को परिवार में सम्मानित स्थान देने तथा वृद्धावस्था को प्रत्येक प्रकार से सुरक्षित बनाने के लिए अनेक व्यवस्थाएं बनाई गईं। इनमें संयुक्त परिवार सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, जिसके माध्यम से परिवार के समस्त आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक तथा धार्मिक अधिकार वृद्धों को सौंपकर दूसरे सदस्यों को उनके निर्दे ा के अनुसार कार्य करना एक सामाजिक प्रतिमान बना दिया गया था। इस व्यवस्था ने भारतीय समाज में वृद्धों को आर्थिक, भावनात्मक सुरक्षा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आश्रम तथा पुरुषार्थ व्यवस्था ने व्यक्ति के दायित्व इस तरह निर्धारित किये कि जिससे वृद्धजन मानसिक तनावों से दूर रहकर अपने जीवन के उपयोगी अनुभवों से समाज को लाभान्वित कर सकें।

भारत में भी 'वृद्धावस्था' तथा 'वृद्ध कल्याण केन्द्र' जैसी संस्थाएं भाहरों में स्थित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1999 को 'वरिष्ठ नागरिक वर्ष' घोषित कर इस ओर सबका ध्यान आकर्षित किया था। भारत ने भी वर्ष 2000 को 'राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष' के रूप में मनाया। मानव जीवन में वृद्धावस्था ही वह अवस्था है, जब उसके पास ज्ञान, अनुभव, विचारों में सुदृढ़ता और उसकी सोच विकसित होकर कुछ सार्थक पहल कर समाज का मार्ग दर्शन करने की क्षमता होती है और इसी से वह समाज के लिए विवसनीय और सम्मानजनक पात्र बन पाता है, किन्तु वर्तमान समय में परिवर्तन की दूसरी प्रक्रियाओं के साथ ही संचार साधनों जैसे टी0वी0, रेडियो, कम्प्यूटर, सीडी, सेलफोन तथा इन्टरनेट ने युवाओं को जो ज्ञान तथा सूचनाएं दी हैं उससे एक ओर जहां वृद्धों का ज्ञान और अनुभव बौना-सा हो गया है, वहीं दूसरी ओर वृद्धों की स्थिति को उपेक्षित तथा मानवीय सम्बन्धों को असंवेदनशील बना दिया है। वृद्धावस्था में व्यक्ति की भारीरक कमजोरी और दूसरी ओर परिवार तथा समाज से मिलने वाला प्रतिकूल व्यवहार उसे मानसिक रूप से भी कमजोर बना देता है। बदलती हुई भारतीय सामाजिक संरचना जिसमें एकाकी होना, संचार, यातायात के साधनों का विकास, बदलते सामाजिक मूल्य, शिक्षा, व्यक्तिवादिता आदि ने वृद्धों की सामाजिक स्थिति को चुनौती दी है। परिणामस्वरूप, वे स्वयं को पराधीन, कमजोर, असहाय और उपेक्षित महसूस करते हैं, जिससे उन्हें भारीरक व मानसिक क्षति पहुंचती है।

वर्तमान समय में भारत में वृद्धों की स्थिति सुधारने से सम्बन्धित किये जाने वाले प्रयासों की चर्चा करना महत्वपूर्ण होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, भारत में सामाजिक न्याय मन्त्रालय द्वारा 1992 में वृद्धों को सहायता देने का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया। इसके अन्तर्गत वृद्धावस्था गृह स्थापित करने वाले, वृद्धों को सुविधाएं प्रदान करने वाले तथा

वृद्धों के लिए सचल चिकित्सालय चलाने वाले ऐच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देनी आरम्भ की गई। इसके अन्तर्गत 'डे केयर सेंटर', 'वृद्धावस्था गृह', 'वृद्धजन देख-रेख केन्द्र' तथा सचल चिकित्सालय स्थापित किये जा चुके हैं।

वर्ष 2007-08 के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर वृद्धाश्रमों की संख्या एक हजार से अधिक वृद्धों के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों में मुख्य निम्न प्रकार से है:-

1. वृद्धावस्था गृह
2. वृद्धजन देख-रेख केन्द्र
3. सचल चिकित्सालय सेवाएं
4. गैर संस्थात्मक सेवाएं
5. अन्य सुविधाएं

- (i) पेंशन योजना 75 रुपये मासिक से लेकर 300 रुपये तक
- (ii) अन्नपूर्णा योजना
- (iii) सभी स्वीकृत बैंको द्वारा 60 वर्ष से अधिक के वृद्धों को 0.75 प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जाता है।
- (iv) जिन वृद्धों की आयु 65 वर्ष से अधिक है, उन्हें आयकर में विशेष छूट दी जाती है।
- (v) रेल किराये में 25 प्रतिशत छूट का प्रावधान।
- (vi) सीनियर सिटीजन स्कीम के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जमा राशि पर अन्य लोगों को मिलने वाले ब्याज से एक प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2007-08 के बजट में वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान किये जाने का प्रावधान रखा गया है। 31 दिसम्बर 2007 तक भारत सरकार द्वारा वृद्धों की सहायतार्थ 282, गैर सरकारी संस्थाओं को 9.30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

**उपलब्धियाँ:** निर्दलन में 51 प्रतिशत स्त्रियाँ तथा 49 प्रतिशत पुरुष हैं। 51 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से 31 प्रतिशत स्त्रियाँ विधवा, 19 प्रतिशत स्त्रियाँ विवाहित, 1 प्रतिशत अविवाहित पाई गई। 49 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से 11 प्रतिशत पुरुष विधुर, 36 प्रतिशत विवाहित और 2 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाता तलाक़ जुदा पाये गये। 100 उत्तरदाताओं में से 90 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू तथा भोष 10 प्रतिशत उत्तरदाता मुस्लिम हैं। हिन्दुओं में विभिन्न जातियों के उत्तरदाता शामिल हैं ब्राम्हण उत्तरदाताओं का प्रतिशत 24, क्षत्रिय 23, वैश्य 11 जबकि 42 उत्तरदाता अन्य जातियों के सदस्य हैं, जैसे— भूद्र, कुम्हार, लुहार, बढई आदि। परिवार के स्वरूप के दृष्टिकोण से 71 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार से, जबकि 29 प्रतिशत उत्तरदाता एकाकी परिवारों से जुड़े हैं। कुल उत्तरदाताओं में से 56 प्रतिशत उत्तरदाता अपने जीवन के 60 वर्ष पूरा करने के बाद भी आत्मनिर्भर हैं, जबकि 44 प्रतिशत उत्तरदाता अपने परिजनों पर आश्रित हैं।

अध्ययन के अन्तर्गत सबसे अधिक उत्तरदाता 60 वर्ष से 70 वर्ष की आयु समूह में पाये गये, जबकि सबसे कम 91 वर्ष से अधिक 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं से सम्पर्क करने का अवसर मिला। 81, सूचनादाता हैं।

वर्ष से 90 वर्ष आयु समूह में 8 प्रतिशत तक 71 वर्ष से 80 वर्ष के आयु समूह के उत्तरदाताओं की संख्या 26 प्रतिशत थी। उत्तरदाताओं की मासिक आय से स्पष्ट होता है कि 56 प्रतिशत उत्तरदाता 60 वर्ष से अधिक 80 वर्ष तक की आयु में भी किसी न किसी प्रकार से आत्मनिर्भर हैं। यहां उल्लेखनीय बात है कि इस आयु में वृद्धों ने स्वयं को, कृषि, कृषि मजदूरी, दुकान, फूल बेचने का काम, मदर डेयरी में काम, नौकरी, प्रोपर्टी डीलर, ब्याज पर रुपया देकर, मकान किराये पर देकर आदि से जीवकोपार्जन में लगाया हुआ है। 44 प्रतिशत उत्तरदाता किसी न किसी रूप में अपने परिवार के सदस्यों पर आश्रित हैं। सबसे अधिक उत्तरदाता (35 प्रतिशत) एक हजार से पांच हजार प्रतिमाह आय रखते हैं, उसके बाद 13 प्रतिशत उत्तरदाता 6000 से 10000 के बीच, 5 प्रतिशत 11000 से 15000 के बीच तथा सबसे कम उत्तरदाता केवल एक प्रतिशत 16000 से 20000 एक प्रतिशत 21000 से 25000 तक एक प्रतिशत उत्तरदाता 26000 से अधिक आय रखते हैं। साक्षरता की दृष्टि से 56 प्रतिशत सूचनादाता साक्षर तथा 44 प्रतिशत निरक्षर हैं। साक्षरों में 23 प्रतिशत महिलायें तथा 33 प्रतिशत पुरुष हैं तथा निरक्षर में 28 प्रतिशत महिलाएं और 16 प्रतिशत पुरुष

**तालिका संख्या 01**

**उत्तरदाताओं की राजनीति में रुचि तथा मतदान**

राजनीति में रुचि/मतदान	संख्या	प्रतिशत	स्त्रियाँ	पुरुष
राजनीति में रुचि रखते हैं	52	52	22	30
राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं	48	48	27	21
कुल योग	100	100	49	51
मतदान करते हैं	94	94	51	49
मतदान नहीं करते हैं	06	06	46	54
कुल योग	100	100	97	103

तालिका स्पष्ट करती है कि 52 प्रतिशत उत्तरदाता की संख्या अधिक है, जबकि 48 प्रतिशत वृद्ध

साथ ही मतदान करने वाले उत्तरदाताओं की मात्रा 94 प्रति 100 है जो चौकाने वाली है। केवल 6 प्रति 100 उत्तरदाता हैं, जो मतदान नहीं करने में रुचि रखते हैं। उनका मानना है कि दे 1 की राजनैतिक व्यवस्था से वे लोग सन्तुष्ट नहीं हैं।

**तालिका संख्या 02**  
**वृद्ध अपना खाली समय व्यतीत करते हैं**

साधन	संख्या	प्रतिशत
टी0वी0 देखकर	22	22
पार्क में बैठकर	06	06
अपनी आयु के लोगों के साथ गप गप करके	28	28
परिवार के लोगों के साथ किसी अन्य प्रकार से	28	28
मन्दिर जाकर, कीर्तन भजन करके, अकेले	16	16
कुल योग	100	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वृद्धावस्था में अधिकां 1 उत्तरदाता अपनी आयु के लोगों के साथ गप- गप 28 प्रति 100 और इतना ही 28 प्रति 100 अपने परिवार के बीच में तथा 22 प्रति 100 टी0वी0 देखकर अपना खाली समय व्यतीत करते हैं तथा 16 प्रति 100 उत्तरदाता जो टी0वी0, पार्क या अपने परिवार के बीच में अपना अधिक समय नहीं

देते थे वे लोग मन्दिर जाकर, भजन कीर्तन करके या अकेले ही समय व्यतीत करते हैं। उपर्युक्त में 9 प्रति 100 उत्तरदाता ऐसे पाये गये, जो टी0वी0, पार्क, अपनी आयु के लोगों के साथ और अपने परिवार के लोगों के साथ सभी तरीकों से अपना खाली समय व्यतीत करते हैं।

**तालिका संख्या 03**  
**वृद्धावस्था में सामंजस्य की समस्या**

साधन	संख्या	प्रतिशत
वृद्धावस्था में सामंजस्य स्थापित करने में परे ानी होती है	35	35
वृद्धावस्था में सामंजस्य स्थापित करने में परे ानी नहीं होती है	65	65
कुल योग	100	100

तालिका स्पष्ट करती है कि 35 प्रति 100 उत्तरदाता बताते हैं कि उन्हें अपने परिवार तथा आस-पास के वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में परे ानी होती है। उदाहरण के लिए परिवार के लोग उन्हें अपनी बातचीत में शामिल नहीं करते, उनसे बात

जाती है। उन्हें लगता है कि परिवार के लोग उनके तरीके से चलना नहीं चाहते। इस तरह से कुल मिलाकर उनकी वृद्धावस्था के कारण उन्हें परिवार में कम महत्व दिया जाता है या कभी-कभी दिया ही नहीं जाता। बहुत कम अवसर होते हैं जब उन्हें घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है, जबकि दूसरी ओर 65 प्रति 100 उत्तरदाताओं ने इसके विपरीत विचार

दिये कि वृद्धावस्था उनके परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने में किसी प्रकार का बाधक नहीं है।

#### तालिका संख्या 04 वृद्धावस्था के कारण परेशानियाँ

साधन	संख्या	प्रतिशत
भाारीरिक रूप से	41	41
मानसिक रूप से	28	28
भाारीरिक तथा मानसिक दोनों	16	16
किसी प्रकार की परेशानियाँ नहीं	15	15
कुल योग	100	100

वृद्धावस्था में वृद्धों की परेशानियाँ पूछे जाने पर 41 उत्तरदाता बताते हैं कि उन्हें भाारीरिक परेशानियाँ जैसे- कमजोरी, हाथ-पैरों में दर्द, ब्लड प्रेशर, हृदय सम्बन्धी रोग आदि होते हैं, जबकि 28 प्रतिशत ने केवल मानसिक परेशानियों का जिक्र किया। जैसे- अकेलापन, खालीपन, आर्थिक समस्या, परिवार के सदस्यों का व्यवहार आदि। साथ ही 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भाारीरिक तथा मानसिक दोनों परेशानियों की बात कही, जबकि 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानियाँ नहीं है, उनका ऐसा मानना उनके आत्मविश्वास, जीवन के प्रति उत्साह और परिवार के प्रति लगाव को दर्शाता है।

**निष्कर्ष:** उपर्युक्त पूर्ण विश्लेषण के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि अधिसंख्यक सूचनादाता (56 प्रतिशत) कहीं न कहीं अपनी आजीविका के लिए कार्यरत हैं। अधिसंख्यक सूचनादाता (52 प्रतिशत) राजनीति में रुचि रखते हैं तथा वे अधिकांशतः (94 प्रतिशत) मतदान में भाग लेते हैं। खाली समय के सदुपयोग के संबंध में देखा गया कि 28 प्रतिशत सूचनादाता परिवार के साथ समय व्यतीत करके, 22 प्रतिशत टी0वी0 देखकर, 6

16 प्रतिशत मंदिर आदि धार्मिक गतिविधियों में तथा 9 प्रतिशत उपर्युक्त समस्त गतिविधियों में अपने खाली समय के सदुपयोग करते हैं। अध्ययन के अधिकांश सूचनादाता (65 प्रतिशत) वृद्धावस्था के कारण सामंजस्य स्थापित करने में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं करते। अधिकांश सूचनादाताओं (76 प्रतिशत) को परिवार के सदस्यों से प्यार व सम्मान प्राप्त होता है, जबकि 24 प्रतिशत इस सम्बन्ध में अभाव को महसूस करते हैं। वृद्धों की सहायता एवं सुरक्षा हेतु चलाई जा रही भाासकीय योजनाओं से मात्र 48 प्रतिशत सूचनादाता ही अवगत हैं। वृद्धों को वृद्धाश्रम भेजने के प्रत्युत्तर में अधिकांश सूचनादाता (76 प्रतिशत) इसे अनुचित तथा मात्र 24 प्रतिशत उचित बताते हैं। वृद्धावस्था के कारण अनुभूत परेशानियों में 41 प्रतिशत भाारीरिक 28 प्रतिशत मानसिक तथा 16 प्रतिशत भाारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की परेशानियों से त्रस्त पाये गये। अध्ययन के मात्र 15 प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी प्रकार की परेशानियाँ का अनुभव नहीं करते पाये गये।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि बदली सहयोग करना होगा। जिससे अनुभवी वृद्ध और कार्यशील युवा मिलकर समाज को एक नई दिशा देकर समाज का नव-निर्माण कर सकते हैं। वहीं

दूसरी ओर युवा, वृद्धों को एक समस्या न मानकर उन्हें अपना उत्तरदायित्व समझें। साथ ही आने वाली पीढ़ियों में यह सोच विकसित करें कि वृद्ध माता-पिता जीवन की एक अनमोल धरोहर हैं, जिसे जीवन में हर व्यक्ति केवल एक बार प्राप्त करता है और जीवन की इस अनमोल धरोहर को संभाल कर रखना इस जीवन का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। तभी विकराल रूप धारण करती हुई वृद्धों की समस्याओं का समुचित समाधान हो सकता है और यह सर्वविदित सत्य है कि आज जो व्यवहार हम अपने वृद्धों के प्रति करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे प्रति करेगी।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1. सिंह, जगजीत, 'प्रोबलम्स ऑफ द ओल्ड मैन इन बरेली', एन अनपब्लिस्ड थीसिस, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, 1962।
2. पुरोहित, सी0के0 एण्ड भार्मा, आर0, 'ए स्टडी ऑफ ऐज्ड 60 इयर एण्ड एबोव इन सोर्ियल प्रोफाइल', इंडियन जनरल जेरेन्टोलॉजी, 1972।
3. ऑफ़ भारत की जनगणना, 2001।
4. हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र, 25 फरवरी रविवार, 2009 पृ0 2।
5. श्रीवास्तव, डॉ0 राजीव कुमार, वैश्वीकरण एवं समाज, वैभव लक्ष्मी प्रकाशन, वाराणसी 2012-2013

\*\*\*\*\*